न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)
राजस्व वाद संख्या 263/2020

1. हरिराम पुत्र हरकरण मेघवाल निवासी ग्राम दोतिना तहसील जायल (नागौर) जरिये अभिकर्ता नरेन्द्रसिंह राजावत पुत्र प्रतापसिंह राजावत निवासी राजपूत मोहल्ला नया शहर तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0

वादी

बनाम

1. श्यामसुन्दर पुत्र गिरिराज किशोर भांड निवासी वार्ड नं0 40, हरियाणा मोहल्ला, पुराना शहर, किशनगढ़ जिला अजमेर
2. मनोहर लाल पुत्र भंवरलाल भांड निवासी वार्ड नं0 40 हरियाणा मोहल्ला, पुराना शहर किशनगढ़ जिला अजमेर
3. श्रीमती गोपी देवी पत्नी बोदूलाल भुणावत निवासी म. नं. 38 सुखसागर, जनकपुरी विस्तार । ईमली फाटक, जयपुर
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ़ तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
5. प्रबन्धक यूनियन बैक ऑफ इण्डिया बरना तहसील किशनगढ राज.।

प्रतिवादीगण

निर्णय वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

दिनांक 21.08.2025

उपस्थितः श्री गोविन्द दास पुरोहित वादी अभिभाषक

निर्णय

1. यह वाद वादी के आम मुख्त्यार द्वारा जरिये वकील श्री गोविन्द दास पुरोहित के माध्यम से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 53, 188 के अन्तर्गत विरूद्ध प्रतिवादीगण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि –

2.1 वादी के मुख्त्यार की ओर से वाद में दावा किया कि वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 से 3 के संयुक्त कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि ख0नं0 1618 कुल रकबा 10–19–00 भूमि वाकै ग्राम किशनगढ़ में स्थित है। राजस्व रिकॉर्ड अनुसार वादग्रस्त भूमि में वादी का 28/214, प्रतिवादी संख्या 1 का 172/321, प्रतिवादी संख्या 2 एवं 3 का पृथक–पृथक 1/6–1/6 हिस्सा निहित है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के संयुक्त कब्जे काश्त खातेदारी की वादग्रस्त ख0नं0 1618 का विधि अनुसार न्यायालय से विभाजन नही हुआ है। वादी ने वादग्रस्त भूमि ख0नं0 1618 में से 28/214 हिस्सा भूमि जरिये रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र द्वारा क्रय की है एवं उक्त भूमि पर वादी का निहित हिस्से अनुसार विधिक हक व अधिकार है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 वादी को उसके क्रयशुदा 28/214 हिस्सा भूमि को काश्त करने में प्रतिवर्ष बाधा कारित करते है जिससे वादी प्रतिवर्ष खरीफ की फसल बहुत कठिनाई से काश्त कर पाता है। वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को कई बार मौखिक रूप से आग्रह किया कि वह प्रतिवादी संख्या 4 के समक्ष उपस्थित होकर परस्पर सहमति से वादग्रस्त खसरा नम्बर 1618 की भूमि का विभाजन करवा ले परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने वादी

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

को कोई संतोषपद जवाब नही दिया। वादी अपने क्रयशुदा भूमि 28/214 हिस्सा का By Metes & Bounds विभाजन करवाने का कानूनन अधिकारी है और अपने हिस्से की भूमि का पृथक से खसरा नम्बर, खाता नम्बर व लगान कायम करवाने का अधिकारी है। प्रतिवादी सं0 1 से 3 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है कि वे वादी को वादग्रस्त ख0नं0 1618 की क्रयशुदा 28/214 हिस्सा भूमि के कब्जे काश्त में बाधा कारित नहीं करे। प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने 172/321 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 5 से ऋण प्राप्त किया है इस कारण प्रतिवादी संख्या 5 को पक्षकार बनाया गया है। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने वादी को वादग्रस्त ख0नं0 1618 पर स्वयं के हिस्से की भूमि पर काश्त की गई खरीफ की फसल को काटने से दिनांक 05.10.2020 को स्पष्ट रूप से इन्कार कर दिया और वादी को एलानिया धमकी दी कि खरीफ की फसल काटने का प्रयास किया तो गम्भीर परिणाम हो सकते है। वादी ने दिनांक 06.10.2020 को अपने अभिभाषक द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को वादग्रस्त भूमि के विभाजन हेतु रजिस्ट्रर्ड सूचना पत्र प्रेषित करवाया जो प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को प्राप्त हो गया परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने वादी के सूचना पत्र का सूचना पत्र में वर्णित अवधि के भीतर कोई जवाब नहीं दिया इस कारण वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। अतः वकील वादी द्वारा निवेदन किया गया कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के मध्य ग्राम किशनगढ़ स्थित वादग्रस्त 1618 का By Metes & Bounds विभाजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के हिस्से की भूमि का पृथक से खसरा नम्बर व लगान कायम किया जावे एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे वादी को उसके हिस्से की भूमि के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा कारित नहीं करे इस प्रभाव की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण पारित की जावे।

3. प्रतिवादी को वादपदो के स्थिरीकरण के लिये प्रतिवादी को सम्मन (आदेश 5 नियम 1 व 5 व्यवहार प्रक्रिया संहिता) के तहत् नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से वकील श्री महावीर मालाकार द्वारा एवं प्रतिवादी संख्या 2, 3 की ओर से वकील श्री बी.के. सुनारिया द्वारा वकालतनामा पेश किया गया एवं प्रतिवादी संख्या 5 की ओर से कोई भी उपस्थित नही होने के कारण दिनांक 25.04.2022 को उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 1, 2 एवं 3 को जवाब पेश करने हेतु समुचित अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद भी जवाब पेश नही करने पर दिनांक 12.10.2022 को उनके जवाब का अवसर बन्द किया गया तथा प्रतिवादी संख्या 4 के द्वारा दिनांक 09.05.2022 को अपना जवाब पेश किया गया।

3.1. प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से पेराकार सरकार के प्रतिनिधि द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया गया कि ग्राम किशनगढ़ ए की आनलाईन जमाबंदी नं0 2077 (वर्ष 2020) से खाता सं0 96 में दर्ज ख0नं0 1617 रकबा 0.0405 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 चाह गिरीराज किशोर पुत्र भंवरलाल हिस्सा 2/3, गोपी पुत्र भंवरलाल हिस्सा 1/6, मनोहर पुत्र भंवरलाल हिस्सा

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

1/6, श्यामसुन्दर पुत्र गिरिराज किशोर हिस्सा 172/321 राहिन यू.बी.आई शाखा बरणा सर्व जाति भांड़ सा. देह व हरिराम पुत्र हरकरण हिस्सा 14/107 जाति भांड़ सा. दोलिना खातेदार दर्ज है तथा वादी का वादग्रस्त ख0नं0 1618 में 28/214 यानि 14/107 हिस्सा पर विधिक हक व अधिकार है।

4. वकील वादी की ओर से लिखित बहस पेश की गई।

4.1 प्रतिवादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने के कारण वकील वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। वकील वादी द्वारा अपनी लिखित बहस पेश कर निवेदन किया कि राजस्व रिकॉर्ड अनुसार वादग्रस्त भूमि में वादी का 28/214 एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 172/321, प्रतिवादी संख्या 2 एवं 3 का पृथक–पृथक 1/6–1/6 हिस्सा निहित है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के संयुक्त कब्जे काश्त खातेदारी की वादग्रस्त ख0नं0 1618 का विधि अनुसार न्यायालय से विभाजन नही हुआ है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 वादी को उसके क्रयशुदा 28/214 हिस्सा भूमि को काश्त करने में प्रतिवर्ष बाधा कारित करते है। वादी अपने क्रयशुदा भूमि 28/214 हिस्सा का By Metes & Bounds विभाजन करवाने का कानूनन अधिकारी है और अपने हिस्से की भूमि का पृथक से खसरा नम्बर, खाता नम्बर व लगान कायम करवाने का अधिकारी है। प्रकरण में वादी द्वारा दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य उपस्थित की जा चुकी है। अतः वकील वादी द्वारा निवेदन किया कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के मध्य ग्राम किशनगढ़ के वादग्रस्त ख0नं0 1618 का By Metes & Bounds विभाजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के हिस्से की भूमि का पृथक से खसरा नम्बर व लगान कायम किया जावे एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे वादी को उसके हिस्से की भूमि के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा कारित नहीं करे इस प्रभाव की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण पारित की जावे।

5. प्रकरण में सुनियोजित पक्षकार सं0 1 लगायत 3 जो वादग्रस्त भूमि के सहखातेदार है का जवाब प्राप्त नहीं होने तथा प्रतिवादी संख्या 4 प्रफोर्मा पक्षकार होने के कारण पत्रावली में तनकियात बिन्दू कायम नहीं किये गये तथा वादी की ओर से उपस्थित साक्षी का साक्ष्य दर्ज की गई। प्रदर्श–1 व 2 जमाबन्दी सम्वत् 2067–2070 खाता सं0 नया 331 पुराना 240 में दर्ज ख0नं0 1618 रकबा 10–14–00 किस्म बारानी–01 । वादी का वाद स्वीकार करते हुए दिनांक 18.12.2024 को डिक्री किया जाकर ग्राम किशनगढ़ तहसील किशनगढ़ स्थित ख0नं0 1618 रकबा 10–14–00 भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकित हिस्सेनुसार वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 से 3 के मध्य अच्छी में अच्छी व बुरी में बुरी के अनुसार विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार किशनगढ़ को कमीश्नर नियुक्त किया गया। दिनांक 18.08.2025 को तहसीलदार किशनगढ द्वारा बंटवारा प्रस्ताव पेश किया गया जिसपर वकील वादी द्वारा सहमति व्यक्त की गई । दिनांक 19.08.2025 को वकील वादी की मूल वाद पर बहस सुनी गई जिसमें उनके द्वारा निवेदन किया गया कि यदि वादअधीन भूमि का तहसीलदार

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

किशनगढ द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुसार विभाजन कर दिया जावे तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। अतः पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, वकील वादी की बहस के आधार पर वादअधीन भूमि ग्राम किशनगढ ए स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 1618 रकबा 1.7321 हैक्टेयर का अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी बाई (मीट्स एण्ड बाउण्डस) के आधार पर बंटवारा किया जाता है। उक्त बंटवारे में तहसीलदार किशनगढ द्वारा बंटवारा प्रस्ताव तथा संलग्न नक्शा अंतिम आदेश का एक भाग होगें।

क्र.सं	नाम खातेदार	खसरा संख्या	रकबा हैक्टैयर में	किस्म	रंग
1.	मनोहर पुत्र भंवरलाल भांड जाति भांड सा. देह खातेदार	1618/1	0.2887	बारानी 01	आसमानी नीला
कुल किता 01 कुल रकबा 00.2887 हैक्टेयर					
2.	गोपी पुत्र भंवरलाल जाति भांड सा. देह खातेदार	1618/2	0.2887 हैक्टेयर	बारानी 01	भूरा
कुल किता 01 कुल रकबा 00.2887 हैक्टेयर					
3.	श्यामसुन्दर पुत्र गिरीराज किशोर जाति भांड सा. देह खातेदार	1618/3	0.9281 हैक्टेयर	बारानी 01	बैंगनी
कुल किता 01 कुल रकबा 00.9281 हैक्टेयर					
4.	हरिराम पुत्र हरकरण राम सा. देह खातेदार	1618/4	0.2266 हैक्टेयर	बारानी 01	हरा
कुल किता 01 कुल रकबा 00.2266 हैक्टेयर					

आदेश हमारे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 21.08.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

(रजत यादव)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)